(वाद संख्या–844/18)

05.02.2020

परिवादी, शैलेन्द्र कुमार यादव, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला, परिवादी द्वारा सिंघिया थाना कांड संख्या–157/17 के फर्द बयान से संबंधित आवेदन को सिंघिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, नीरज कुमार द्वारा जबरदस्ती लेकर, अपने ढंग से थाना के चौकीदार से फर्द बयान लिखवाकर, जबरदस्ती उक्त फर्द बयान पर परिवादी की समधीन, श्रीमती अनिता देवी, का टिप्पा लेने तथा इसका विरोध करने पर जबरदस्ती गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने हेतु परिवादी को तीन थप्पड़ मारने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम लक्ष्मीनिया में यादव जाति के दो गुटों में वर्चस्व को लेकर दिनांक–01.12.2017 को मार–पीट की एक घटना हुई थी जिसमें उभय पक्ष की ओर से सिंघिया थाना कांड सं0–156/17 व 157/17 संस्थित किया गया था। सिंघिया थाना कांड संख्या–157/17 की वादी, अनिता देवी, के साथ परिवादी, शैलेन्द्र कुमार यादव फर्द बयान दर्ज करने हेतु थाना पर गये थे तथा परिवादी शैलेन्द्र कुमार यादव द्वारा सिंघिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, नीरज कुमार, पर इस बात के लिए दवाब बनाया गया कि उसके विरूद्ध संस्थित सिंघिया थाना कांड संख्या–156/17 से गंभीर सिंघिया थाना कांड सं0–157/17 को बनाया जाय। जब तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा परिवादी की बात नहीं मानी गयी तो इसी रंजिश पर परिवादी की ओर से तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरूद्ध आयोग के समक्ष आवेदन दिया गया।

आज आयोग के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि प्रसंगाधीन उपरोक्त दोनों कांडों के पक्षकारगण आपस में गोतिया हैं तथा उन दोनों ने प्रसंगाधीन दोनों कांडों में स्वेच्छा से सुलह कर लिया है। परिवादी का कथन है कि

Bihar Human Rights Commission, Patna

उसका उपरोक्त दोनों कांडों से कुछ भी लेना–देना नहीं है, परन्तु वह यह स्वीकार करते हैं कि वह सिंघिया थाना कांड संख्या–157/17 के लिखित आवेदन को स्वयं लिखकर अपनी समधीन के साथ थाना पर गया था लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष, नीरज कुमार द्वारा उसके लिखित आवेदन को स्वीकार न कर स्वयं अपने मन से चौकीदार से घटना के संबंध में लिखित कथन लिखवाया गया तथा बकरी चोरी से संबंधित तथ्य को नहीं जोड़ा गया। जब उसने इसका विरोध किया तो इसी बात को लेकर थानाध्यक्ष द्वारा थाना में ही उसे तीन थप्पड़ मारा गया तथा उसे गाली देकर अपमानित भी किया गया एवं चौकीदार द्वारा लिखे गये लिखित आवेदन पर उसे साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाया गया। परिवादी का यह भी कथन है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, नीरज कुमार, द्वारा उसके साथ किये गये अमानवीय व्यवहार को लेकर उसने घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में परिवादी की ओर से प्रमाण भी दाखिल किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा अपने अधीनस्थ सिंघिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के उपरोक्त कृत्य की गंभीरता से जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या सिंघिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा परिवादी से प्राथमिकी दर्ज करते समय बदसलूकी की गयी थी अथवा नहीं ? उन्हें इस तथ्य की भी जाँच करनी चाहिए थी कि जब कोई व्यक्ति घटना के संबंध में स्वलिखित आवेदन देता है तो थाना के कर्मचारी से फर्द बयान को लिखवाया जाना किन परिस्थितियों में सही था ?

अब, जबकि प्रसंगाधीन दोनों कांड सुलह के आधार पर निष्पादित हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद करते हुए **पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थापित सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करें कि सामान्तया सर्वप्रथम अगर कोई व्यक्ति (वादी) घटना के**

Bihar Human Rights Commission, Patna

संबंध में स्वलिखित आवेदन देता है तो उस आवेदन को स्वीकार कर कांड दर्ज किया जाये। अगर वह लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तब ही किसी पुलिस कर्मचारी से फर्द बयान लिखवाया जाय तथा उस फर्द बयान लिखवाते समय उपस्थित साक्षी का जो सामान्य परिस्थिति में फर्द बयान लिखवाने वाले का निकट रिश्तेदार हो, का हस्ताक्षर निश्चित रूप से करवाया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर व परिवादी को सूचनार्थ भेज दी जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna